



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04052022-235544
CG-MH-E-04052022-235544

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944

No. 237]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 8 अप्रैल, 2022

डीओआर.आरईटी.आरईसी.16/12.01.001/2022-23.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 धारा 51 और धारा 56 के साथ पठित धारा 24 की उप-धारा (2ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 05 दिसंबर 2018 की अधिसूचना डीबीआर.आरईटी.बीसी सं.11/12.02.001/2018-19 में आंशिक संशोधन करते हुए, रिज़र्व बैंक एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, बैंकों द्वारा बनाए रखे जानेवाले "नकद", जैसाकि उक्त अधिसूचना के अनुबंध में संदर्भित है, में स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई शेष राशि भी शामिल होंगी।

जयन्त कुमार दाश, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./52/2022-23]

RESERVE BANK OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 8th April, 2022

DOR.RET.REC.16/12.01.001/2022-23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 read with Section 51 and Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and in partial modification to notification DBR.Ret.BC No.11/12.02.001/2018-19 dated December 05, 2018, the Reserve Bank hereby specifies that for the purpose of this notification,

“Cash” to be maintained by banks, as referred to in the Annex of the notification *ibid*, shall also include the balances held by banks with RBI under Standing Deposit Facility (SDF).

JAYANT KUMAR DASH, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./52/2022-23]